

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान— बीकानेर

प्रारूप—6

परिशिष्ट

सेवा संतोषजनक प्रमाण पत्र


(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

श्री गजानन्द राव तत्कालीन प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरवाड़ अजमेर के रूप में कार्यरत थे, जिनकी जन्म तिथि 03.09.1951 है, ये राज्य सेवा से दिनांक 03.09.2011 को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उम्मीदनामित श्री गजानन्द राव तत्कालीन प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरवाड़ अजमेर के विरुद्ध आज तक—

1. राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम 16 व 17 के अन्तर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/वि.जांच/11133/(जी-62)/94/485-486 दिनांक 15.11.17 के अनुसार देय पेंशन राशि का 05 प्रतिशत भाग 05 वर्ष के लिये रोके जाने के दण्ड से दण्डित किये जाने के फलस्वरूप श्री राव को देय पेंशन राशि का 05 प्रतिशत भाग 05 वर्ष के लिये रोके जाने की शर्त पर सेवा संतोषजनक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक: 9.01.2018

क्रमांक: शिविरा-मा/संस्थों/ए-7/गजानन्दराव/2006
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

1. संबधित संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग,
2. संबधित उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा
3. संबधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक),
4. प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरवाड़ अजमेर
5. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को आदेश विभाग की बेबसाईट पर अपलोड हेतु
6. श्री गजानन्द राव तत्कालीन प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरवाड़ अजमेर
7. निजी/रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर